

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

9-1-25

वकील प्राची वरिष्ठ नही। वकील प्राची व  
 प्राची के स्वयं के रुठ रुठ के आवाजे  
 लगवाते मई। परंतु वरिष्ठ नही कर्ना। वकील  
 जर्ना की रूप दाली व कडक पैरवी में जर्ना  
 का ज-पत्र व रिज 7-10-22 में पार्टी लागू  
 भी खारिज किया जाता है। फावली फेंदले  
 के शुभारंभ के दायित्व सफल है।  
 केबले सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
 रावसिंहनगर

